राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 100/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – सेवा गृह ऋण लि0 कार्यालय शाखा–राठौड नगर, वैशाली नगर, मोंटे कार्लो शॉरूम के ऊपर, जयपुर एवं शाखा कार्यालय–भीलवाड़ा **बनाम**

—— प्रार्थी

1. सीमा देवी पत्नि बक्षू लाल गुर्जर निवासी वार्ड नं. 11 मेजा, भीलवाड़ा
2. बक्षू लाल गुर्जर पुत्र पोखर लाल निवासी वार्ड नं. 11 मेजा, भीलवाड़ा
3. कान सिंह पुत्र सोहन लाल निवासी वार्ड नं. 10, मेजा, भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक : 04.08.2023

प्राधिकृत अधिकारी – सेवा गृह ऋण लि0 शाखा कार्यालय भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को कुल 4,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 27.07.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति–**पट्टा नं. 14, ग्राम पंचायत, मेजा, पंचायत समिति, माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जो कि श्री बक्षू लाल गुर्जर पुत्र पोखर लाल के नाम से है, जिसका क्षेत्रफल 1960 वर्गफीट है, जिसके पड़ौस पूर्व–स्वयं, पश्चिम–रास्ता, उत्तर–बालू ढोली, दक्षिण–लकी शर्मा** (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 30.09.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,82,552.92/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 16.11.2022 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।